रजिस्टर्ड सं० डी०–222

REGISTERED No. D-222

Govt. of India

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1974/फाल्गुन 18, 1895
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1974/PHALGUNA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार क आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 251.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 443 (ङ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिसूचना" कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स अमीन एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31 मार्च, 1973 की वित्तीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी, भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, 31 मार्च, 1973 को वर्ष समाप्ति के विश्व तुलन-पत्र की तीन प्रतियां, यथा उपलब्ध होने पर प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा।

[फाइल सं. 14/9/73-सी. एल. 6]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

अशोक नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 22nd February, 1974

G.S.R. 251.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	100% by direct recruitment. The person selected will be on contract/tenure for 5 years, which may be extended by the Central Government for a further period of 5 years (subject to normal rule of superannuation). The contract/tenure system shall not, however, apply in the case of a departmental officer selected by the Union Public Service Commission for the post.	Not Applicable	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[File No. F. 3/5A(11)/73-RR]
[File No. 16(34)/73-Sur. I]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 255.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरूत्पादन कार्यालय (सहायक प्रबंधक) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरूत्पादन कार्यालय (सहायक प्रबंधक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरूत्पादन कार्यालय (सहायक प्रबंधक) भर्ती नियम, 1966 से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी. अर्थात् :—

"प्रोन्नति

ऐसे तकनीकी सहायक, पुनरूत्पादन (चयन श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो, जिसके न होने पर ऐसे तकनीकी सहायक, पुनरूत्पादन (चयन श्रेणी) जिन्होंने साधारण श्रेणी और चयन श्रेणी में दोनों को मिलाकर दस वर्ष सेवा की हो।"

[एफ. 16/52/69-सर्वे. 1]
टी. एल. विश्वनाथन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 1974

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Map Reproduction Office of the Survey of India (Assistant Manager) Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Map Reproduction office of the Survey of India (Assistant Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Map Reproduction Office of the Survey of India (Assistant Manger) Recruitment Rules, 1966, in column 11, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion

Technical Assistants, Reproduction (Selection Grade) with 3 years' service in the grade, failing which Technical Assistants, Reproduction (Selection Grade) having ten years' service both in the ordinary grade and selection grade taken together."

[No. F. 16/52/69-Sur. I]
T. L. VISWANATHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 256.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती विनियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में क्रम संख्या 23 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के उपरान्त निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
"24.	जूनियर विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	400–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द०रो०–30–830–35–90 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या ठेके पर नियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या ठेके पर नियुक्ति **नियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी श्रेणी-2 के पद पर काम करने वाले अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष ग्रेड में काम करने वाले ऐसे अधिकारियों में से जो :— (क) किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो या समकक्ष योग्यता प्राप्त हों, (ख) किसी राजपत्रित पद पर या समकक्ष ग्रेडों में न्यूनतम 5 वर्ष का या किसी अराजपत्रित पद पर या समकक्ष ग्रेडों में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव रखते हों, और (ग) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान के वर्क स्टडी प्रेक्टीसनर्ज कोर्स में प्रशिक्ष या किसी अन्य संस्थान में समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों। या कार्य अध्ययन या संगठन एवं पद्धति या विश्लेषण या सांख्यिकी या आपरेशन्स रिसर्च तथा अन्य प्रबन्ध अनुसंधान प्रविधियों के लागू करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रखते हों। (सामान्यतः प्रतिनियुक्ति या ठेके की अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक-सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम,) 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।"

[संख्या 1/5/73-सी(ए)]

एम०एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi 1, the 16th February, 1974

G.S.R. 256—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 after serial No. 23 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8
"24	Junior Analyst (Work Study)	1	General Central Service, Class II Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation OR By appointment on contract.	Transfer on deputation or by appointment on contract. Officer from any Class II post under Central Government or State Governments or equivalent grade in Public Sector Undertakings, who have :— (i) a University degree or its equivalent; (ii) a minimum of 5 years service in a gazetted post or equivalent grades, or a minimum of 8 years service in non-gazetted or equivalent grades; and (iii) successfully completed training in the Work Study Practitioners' Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. OR Have at least one year's experience in the application of Work Study or organisation and methods or analytical or statistical or operations research and other management research techniques. (Period of deputation or contract ordinarily not exceeding 6 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958".

[F. No. 1/15/73-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 257.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 231, तारीख 27 जनवरी, 1966 के साथ प्रकाशित फरक्का बैरेज परियोजना (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फारक्का बैरेज परियोजना (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **अनुसूची का संशोधन**—फारक्का बैरेज परियोजना (वर्ग 1 वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1966 में, अनुसूची में, (1) क्रम सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—